संख्या-5/2018/ 115//78-1-2018-25/2012टीसी-1

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.5 "रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2015" के प्रस्तर संख्या 5.1.5 "रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान" में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

5.1.5 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

- परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवँ निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5 वर्षों तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रू 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

3- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को कर्मचारी भविष्य निधि अनुदान प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 आच्छादन
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.2 परिभाषायें
एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

3.3 प्रोत्साहन का विवरण

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) को रोजगार दिया गया हो और जो निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे हों।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3.2 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को, उनके द्वारा परिचालन आरम्भ करने के पश्चात भुगतान की गई कर्मचारी भविष्य निधि धनराशि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.3.3 इस प्रोत्साहन/अनुदान धनराशि की अधिकतम सीमा रू 20.00 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई होगी।

3.3.4 यह प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवँ निरन्तर एक वर्ष तक एक ही इकाई में रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई भविष्य निधि धनराशि के सापेक्ष की जायेगी।

3.3.5 उक्त प्रोत्साहन/अनुदान शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इकाई द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

3.3.6 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.3.7 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें कर्मचारी भ विष्य निधि अनुदान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.4 प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया

3.4.1 आवेदक इकाई द्वारा आवेदन पत्र कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.4.2 इकाई द्वारा ई.पी.एफ. के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण, तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) की सूची सहित, जिसे सम्बन्धित क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जिसमें कर्मियों का यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) प्रदर्शित किया गया हो।

अथवा

यदि इकाई द्वारा ई.पी.एफ. ट्रस्ट की स्थापना की गयी है तो इकाई द्वारा ई.पी.एफ. के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण जिसे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जिसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) का यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) प्रदर्शित किया गया हो।

3.4.3 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.4.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.4.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इकाई को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवँ शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

3.4.6 यह अनुदान इकाई को प्रत्येक विगत वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई गई धनराशि के लिए अनुमन्य होगा तथा कर्मचारी भविष्य निधि अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, 01 अप्रैल से 30 जून की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

3.5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.6 व्यय भार

भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

3.7 कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 982/78-1-2016-25/2012टीसी-8 दिनांक 19 अगस्त 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2018/115/(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।